

जमींदार का होता था। इस नियम का जमींदारों ने एक दुःखयोग किया किसान से बड़ा-बड़ा कर लेवती है राजस्व बसूल किया जाने लगा। राजस्व का वह भाग जो सरकार के खजाने में जाना चाहिए उसमें इमानदारी नहीं थी। जमींदारों के लिए वा लाटरी के काम गई। जमींदार पहले से वा आमीर थे ही अब और भी आमीर हो गये। कर न आदा करने की सूरत में जमींदारों ने किसानों की जमीन छुप ली। राजस्व का एक ही जगह वाहितविक रूप से वाणिज्यिक हो गया। काश्तकारों के अधिकारों की अनदेखी होने लगी। उन्हें राजस्व अदा करने के लिए महाजनों तथा जमींदारों से धन उधार लेना पड़ता था। उच्च समर्थ सभी काश्तकारों पर लिये नहीं थे। जिससे लाभ उठाकर महाजन और जमींदारों के प्रति इन काश्तकारों की जमीनों पर अत्याचार करने लगे और सरकार को अधिक मुं कमी हो गई। राजस्व की भरने का व्यवस्था का वाणिज्यिकता का किया।